

### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

# प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं.** 266] No. 266] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2019/श्रावण 3, 1941

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2019/SHRAVANA 3, 1941

# भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

# भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2019

- सं. आई.बी.बी.आई/2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.046.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -
- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2019 है ।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 6 के उप-विनियम (2) में, खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–
  - "(ङ) बोर्ड को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पचास लाख रुपए की वार्षिक फीस का संदाय करेगी:

परन्तु उस वित्तीय वर्ष में, जिसमें किसी इनफॉरमेशन यूटिलिटी को यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण प्रदान किया जाता है, कोई वार्षिक फीस संदेय नहीं होगी:

परन्तु यह और कि ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बोर्ड, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकेगा, किसी इनफॉरमेशन यूटिलिटी द्वारा फीस के संदाय में किए गए किसी विलंब को तब तक बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज लगेगा, जब तक उसका संदाय नहीं कर दिया जाता है।

3792 GI/2019 (1)

## दृष्टांत

- (क) जहां कोई इनफॉरमेशन यूटिलिटी तारीख 1 दिसम्बर, 2016 को रजिस्ट्रीकृत की गई है वहां वह रजिस्ट्रीकरण की सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर पचास लाख रुपए की फीस का संदाय करेगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए फीस का संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पचास लाख रुपए की वार्षिक फीस तारीख 1 अप्रैल, 2017 को देय हो जाती है और उसका संदाय 15 अप्रैल, 2017 को या उससे पूर्व करना होगा, और इसी प्रकार।
- (ख) जहां वार्षिक फीस का संदाय 20 अप्रैल, 2017 को किया जाता है वहां पांच दिन के विलंब के लिए बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज संदेय होगा ।"
- 3. मूल विनियमों के विनियम 9 के उप-विनियम (7) में, "सत्तर वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचहत्तर वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।
- 4. मूल विनियमों में, विनियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा अर्थात्:-

## "21. चूक की सूचना

- (1) किसी इनफॉरमेशन यूटिलिटी द्वारा चूक की सूचना प्राप्त होने पर वह सूचना के प्रमाणन और सत्यापन की प्रक्रिया तुरंत आरंभ करेगी।
- (2) उप-नियमन (1) के प्रयोजनार्थ, इनफॉरमेशन यूटिलिटी -
- (क) चूक की सूचना ऋणी को, तकनीकी मानकों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसकी पुष्टि की ईप्सा करते हुए परिदत्त करेगी:
- (ख) यदि ऋणी प्रत्युत्तर नहीं देता है तो ऋणी को चूक की सूचना की पृष्टि के लिए प्रत्युत्तर देने के लिए प्रत्येक बार तीन दिन का समय अनुज्ञात करते हुए तीन बार अनुस्मारक भेजेगी;
- (ग) ऋणी को, यथास्थिति, चूक की सूचना या अनुस्मारक दस्ती, डाक या इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा ऋणी के ऐसे डाक पते या ईमेल पते पर परिदत्त करेगी, जो
  - (i) उसके द्वारा इनफ़ॉरमेशन यूटिलिटी के पास रजिस्ट्रीकृत कराया गया है, जिसके न हो सकने पर,
  - (ii) बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित किसी अन्य कानूनी निधान के पास अभिलिखित है, जिसके न हो सकने पर,
  - (iii) अनुसूची के प्ररूप ग में प्रस्तुत किया गया है ।
- (3) इनफॉरमेशन यूटिलिटी, उप-विनियम (2) के अधीन प्रक्रिया के पूरा होने पर, चूक की सूचना के प्रमाणन की प्रास्थिति नीचे सारणी में उपदर्शित रूप में अभिलिखित करेगी:-

### सारणी

क्रम सं.	ऋणी का प्रत्युत्तर	प्रमाणन की प्रास्थिति	प्रास्थिति का रंग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ऋणी चूक की सूचना की पुष्टि करता है।	प्रमाणित।	हरा
2	ऋणी चूक की सूचना को विवादित करता है।	विवादित।	लाल
3	ऋणी तीन अनुस्मारकों के पश्चात् भी प्रत्युत्तर नहीं देता है।	प्रमाणित समझी जानी है।	पीला

- (4) इनफॉरमेशन यूटिलिटी, उप-विनियम (3) के अधीन चूक की सूचना की प्रास्थिति अभिलिखित करने के पश्चात्, उसकी सारणी के स्तंभ (4) में यथा-उपदर्शित सुसंगत रंग के प्रमाणन की प्रास्थिति भौतिक या इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसे रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं को संसूचित करेगा जो
  - (क) उस ऋणी के लेनदार हैं, जिन्होंने व्यतिक्रम किया है;
  - (ख) ऐसे ऋण के, जिसकी बाबत चूक की सूचना प्राप्त हुई है, पक्षकार और जमानतदार हैं।"।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./152/19]

**टिप्पण:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017, 31 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 129 में तारीख 31 मार्च, 2017 को प्रकाशित किए गए थे और इसके बाद इनमें -

- (1) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.016, तारीख 29 सितम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 381 में तारीख 29 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2017;
- (2) अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.029, तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 123 में तारीख 28 मार्च, 2017 को प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2018; और
- (3) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी. 034, तारीख 11 अक्तूबर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 382 में तारीख 11 अक्तूबर, 2018 को प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018

द्वारा संशोधन किए गए थे।

# INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2019

The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2019

- **No. IBBI/2019-20/GN/REG046.**—In exercise of the powers conferred by section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, namely:-
- **1.** (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 6, in sub-regulation (2), for clause (e), the following clause shall be substituted, namely: -
- "(e) pay an annual fee of fifty lakh rupees to the Board, within fifteen days from the date of commencement of the financial year:

Provided that no annual fee shall be payable in the financial year in which an information utility is granted registration or renewal, as the case may be:

Provided further that without prejudice to any other action which the Board may take as it deems fit, any delay in payment of fee by an information utility shall attract simple interest at the rate of twelve percent per annum until paid.

#### Illustration

- (a) Where an information utility is registered on 1<sup>st</sup> December, 2016, it shall pay a fee of fifty lakh rupees within fifteen days of receipt of intimation of registration. No further payment is required to be made for the financial year 2016-17. The annual fee of fifty lakh rupees for the financial year 2017-18 becomes due on 1<sup>st</sup> April, 2017 and the same shall be paid on or before 15<sup>th</sup> April, 2017 and so on.
- (b) Where the annual fee is paid on 20<sup>th</sup> April, 2017, interest at the rate of twelve percent per annum shall be paid for the delay of five days.".
- **3.** In the principal regulations, in regulation 9, in sub-regulation (7), for the words "seventy years", the words "seventy-five years" shall be substituted.
- 4. In the principal regulations, for regulation 21, the following regulation shall be substituted, namely:-

#### "21. Information of default.

- (1) An information utility shall expeditiously undertake the process of authentication and verification of information of default as soon as it is received.
- (2) For the purpose of sub-regulation (1), the information utility shall-
- (a) deliver the information of default to the debtor seeking confirmation of the same within the time specified in the Technical Standards;
- (b) remind the debtor at least three times for confirmation of information of default, in case the debtor does not respond, allow three days each time for the debtor to respond;
- (c) deliver the information of default or the reminder, as the case may be, to the debtor either by hand, post or electronic means at the postal or e-mail address of the debtor-
- (i) registered with the information utility by him, failing which,
- (ii) recorded with any other statutory repository as approved by the Board, failing which,
- (iii) submitted in Form C of the Schedule.
- (3) On completion of the process under sub-regulation (2), the information utility shall record the status of authentication of information of default as indicated in the Table below:

#### Table

Sl. No.	Response of the Debtor	Status of Authentication	Colour of the Status
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Debtor confirms the information of default	Authenticated	Green
2	Debtor disputes the information of default	Disputed	Red
3	Debtor does not respond even after three reminders	Deemed to be Authenticated	Yellow

- (4) After recording the status of information of default under sub-regulation (3), the information utility shall communicate the status of authentication in physical or electronic form of the relevant colour, as indicated in column (4) of the Table thereof, to the registered users who are-
  - (a) creditors of the debtor who has defaulted;
  - (b) parties and sureties, if any, to the debt in respect of which the information of default has been received.".

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./152/19]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG009 dated 31<sup>st</sup> March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 129 on 31<sup>st</sup> March, 2017 and were subsequently amended by-

- (1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2017 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG016 dated 29<sup>th</sup> September, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 381 on 29<sup>th</sup> September, 2017;
- (2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG029 dated 27<sup>th</sup> March, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 123 on 28<sup>th</sup> March, 2018; and
- (3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Second Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2018-19/GN/REG034 dated 11<sup>th</sup> October, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 382 on 11<sup>th</sup> October, 2018.